सत्यमेव जयते

# न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

## COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्याः 2409 / 1024 / 2014 दिनांकः– .06.2016

के मामले में

श्री प्रवीण बहल,
94 / 4, अर्बन इस्टेट, 0115
गुड़गांव –122001 (हरियाणा) ..... शिकायतकर्ता

बनाम

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,
केन्द्रीय कार्यालय,
763, अन्ना सलाई, 0116
चेन्नई–600 002 ..... प्रतिवादी संख्या 1

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक,
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 0117
क्षेत्रीय कार्यालय एनसीआर,
एम–13, पुन्ज हाउस,
मिडिल सर्किल, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली–110001 .... प्रतिवादी सख्या 2

सुनवाई की तारीखः 09.02.2016, 03.05.2016, 25.05.2016

उपस्थितः

09.02.2016

1. श्री प्रवीण बहल, शिकायतकर्ता
2. सर्वश्री आर.सी. पटनायक, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, शुभेन्दु कुमार वर्मा, सहायक महाप्रबन्धक एवं सुश्री लता सिंह, सहायक प्रबन्धंक प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से

03.05.2016

1. शिकायतकर्ता अनुपस्थित।
2. सुश्री मीना चावला, मुख्य प्रबन्धक एवं सुश्री लता सिंह, सहायक प्रबन्धक प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से ।

25.05.2016

1. शिकायतकर्ता को उपस्थिति में छूट ।
2. श्री शुभेन्दु कुमार वर्मा, सहायक महाप्रबन्धंक एवं सुश्री लता सिंह, सहायक प्रबन्धक, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से ।

### आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री प्रवीण बहल, 100 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनके एल.टी.सी. अग्रिम को

.....2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

स्वीकार नहीं किए जाने तथा अन्य समस्याओं से संबंधित दिनांक रहित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया, जोकि इस न्यायालय में 18.07.2014 को प्राप्त हुआ ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि वे अपनी सेवानिवृति होने से पहले अपने परिवार के साथ एल.टी.सी. पर जाना चाहते थे । दिनांक 25.10.2009 को उनके बिल को स्वीकृति के लिए भेजा गया और दिनांक 31.10.2009 को वे सेवानिवृत्त हो गए । इस संबंध में उन्होंने स्मरण–पत्र भी भेजा और एल.टी.सी. पर जाने से पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त कर ली थी । परन्तु सेवानिवृत होने के बाद बैंक द्वारा उनके बिल को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया । इस संबंध में उन्हें क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी से आश्वासन मिला था कि उनको 55,000/– रूपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से धनराशि प्रदान कर दी जाएगी क्योंकि बैंक के अनेक अधिकारी वर्षों से इसी रेट से एल.टी.सी. पर जा रहे थे । जब इस विषय में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक आदि को लिखा और जांच की गई तो जांच के दौरान भी बैंक अधिकारियों द्वारा उन्हें धमकाया गया । इसके अतिरिक्त उनकी निम्नलिखित समस्याएं हैं:–

(क) मकान की रजिस्ट्री वापिस नहीं की गई ।
(ख) चिकित्सा बिलों का स्वीकार नहीं किया जाना ।
(ग) छुट्टियों का कम भुगतान किया जाना, और
(घ) अन्य ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 21.01.2015 के द्वारा उठाया गया ।

4. प्रतिवादी की ओर से मुख्य प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, चेन्नई ने अपने पत्र कमांक पीएडी/ओएचएस/140 दिनांक 07.03.2015 द्वारा मामले में अपना पक्ष इस न्यायालय के समक्ष रखा, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी प्रेषित की गई थी । उक्त पत्र के संदर्भ में शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 20.03.2015 द्वारा मामले से संबंधित कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिन्हें इस न्यायालय के पत्र दिनांक 27.05.2015 द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली को उनके टिप्पण हेतु भेजा गया ।

.....3/–

5. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 05.06.2015 द्वारा मामले को मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय एनसीआर को अवलोकन तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिया गया ।

6. इस न्यायालय के पत्र दिनांक 26.06.2015 द्वारा मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय एनसीआर को मामले में टिप्पण हेतु सलाह दी गई तथा पत्र दिनांक 16.10.2015 द्वारा स्मरण भी कराया गया । लेकिन प्रतिवादी बैंक की तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ ।

7. जबकि पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतिवादी पक्ष की तरफ से जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण इस मामले में सुनवाई दिनांक 27.01.2016 को निर्धारित की गई, जोकि 09.02.2016 को पुनः निर्धारित की गई ।

8. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दिनांक शून्य जो इस न्यायालय में दिनांक 18.07.2014 को प्राप्त हुई, में लिखित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उनका आखिरी एल.टी.सी. का बिल अभी तक पास नहीं हुआ है । उनकी प्रोन्नति सेवा काल के दौरान रोकी गई थी । उनका आखिरी मेडिकल के बिल का भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है । हाउसिंग लोन खत्म होने के बाद भी किस्तों की अदायगी लेना जारी रखा और उन्हें यह भी सूचित नहीं किया गया कि उनकी हाउसिंग लोन की किस्तें पूरी हो चुकी हैं । मकान की रजिस्ट्री शिकायतकर्ता को हाउसिंग लोन खत्म होने के बाद भी वापस देने से इनकार कर दिया गया कि मुख्य कार्यालय से अनुमति प्राप्त होने पर ही वापस की जाएगी जोकि काफी समय के बाद ही शिकायतकर्ता को लौटाई गई, जिसकी लापरवाही के लिए संबंधित कर्मचारी को चेतावनी दी जाए । अंत में शिकायतकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वे अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके बकाया का भुगतान शीघ्र कराया जाए ।

9. प्रतिवादियों के प्रतिनिधि, श्री रमेश चन्द्र पटनायक, मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक ने निवेदन किया कि उन्होंने जून, 2015 में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया है और यह केस वर्ष 2009 का है तथा इस मामले का अभिलेख भी

....4 / –

उनके पास उपलब्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त उन्हें इस न्यायालय में आज उपस्थित होने की सूचना भी उनके केन्द्रीय कार्यालय से मिली है । उन्होंने मामले को निपटाने हेतु और अपना प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए 15 दिन का समय प्रदान करने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया । इस संदर्भ में उन्होंने बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय का पत्र दिनांक 09.02.2016 भी न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

10. न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय प्रतिवादी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनुपालना हेतु उन्हें 20 दिन का समय प्रदान करता है । मामले की अगली सुनवाई दिनांक 09.03.2016 को इस न्यायालय में निर्धारित की जाती है । शिकायतकर्ता के अनुरोध पर विचार करते हुए यह न्यायालय उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने के लिए छूट प्रदान करता है ।

11. इस न्यायालय द्वारा जारी कार्यवाहियों के अभिलेख दिनांक 11.02.2016 द्वारा शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने के लिए छूट प्रदान की गई थी, इसलिए वे आज उपस्थित नहीं हुए ।

12. प्रतिवादियों के प्रतिनिधि, सुश्री मीना चावला, मुख्य प्रबन्धक एवं सुश्री लता सिंह, सहायक प्रबन्धक ने सुनवाई के दौरान मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक का पत्र दिनांक 03.05.2016 प्रस्तुत किया । उन्होंने निवेदन किया कि यह केस वर्ष 2009 का है तथा इस मामले का अभिलेख भी उनके पास उपलब्ध नहीं है । वे अपने केन्द्रीय कार्यालय, चेन्नई से इस मामले के निपटान हेतु उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, अतः उन्हें मामले के निपटारण के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए ।

13. न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी के अनुरोध को स्वीकार किया तथा निदेश दिया कि 18.05.2016 तक वे इस संबंध में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें । यदि कोई मामले लंबित रहते हैं तो उसका कारण व वस्तुस्थिति स्पष्ट करें तथा समय सुनिश्चित करें जिसमें उनका निपटारा कर दिया जाएगा । मामले की अगली सुनवाई दिनांक 25.05.2016 को 04.00 बजे इस न्यायालय में निर्धारित की

.....5 /

गई । शिकायतकर्ता को इस न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई में उपस्थित न होने के लिए छूट प्रदान की गई ।

14. इस न्यायालय द्वारा जारी कार्यवाहियों के अभिलेख दिनांक 05.05.2016 द्वारा शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने के लिए छूट प्रदान की गई थी, इसलिए वे दिनांक 25.05.2016 को सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए ।

15. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि पक्षकारों ने इस विवाद का निपटारा आपस में न्यायालय से बाहर कर लिया है ओर एक लिखित समझौता करार निष्पादित किया है, जोकि इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । समझौते के निबंधनों के अनुसार शिकायतकर्ता ने 1,10,000/– रूपए की राशि लेना स्वीकार किया है और प्रतिवादी बैंक ने उपरोक्त राशि पक्षकारों के बीच समस्त विवाद के अंतिम समझौते के रूप में अदायगी करना स्वीकार कर लिया है । उपरोक्त राशि 1,10,000/– रूपए का बैंक ड्राफ्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

16. न्यायालय ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि उपरोक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए उन्हें सौंप दें और उसकी रसीद प्राप्त कर लेवें और इसकी अनुपालना रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर इस न्यायालय को भेजें ।

17. मामले का तदनुसार निपटारा किया गया ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन